विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें–

जी० वी० टी० – कृषि विज्ञान केन्द्र

चकेश्वरी फार्म, गोड्डा – 814133

मो0 – 9709880356


टाईम प्रेस, हटिया चौक, गोड्डा, मो0– 9931120405



Striving for improved & sustainable livelihood

# जी० वी० टी०-कृषि विज्ञान केन्द्र

## गोड्डा

# कृषक उत्पादक संगठन (FPO)

## किसानों का एक लाभकारी संस्था

डा० अशोक प्रसाद ठाकुर

कार्यक्रम सहायक

डा० रविशंकर

वरीय वैज्ञानिक-सह-प्रधान

# कृषक उत्पादक संगठन (FPO)

## किसानों का एक लाभकारी संस्था

प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित संगठनों को सामान्यतः उत्पादक संगठन कहा जाता है। उत्पादक संगकठन एक उत्पादक कम्पनी, एक सहकारी समिति या कोई अन्य विधिक निकाय हो सकता है, जो व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता है और इससे प्राप्त लाभ को अपने सदस्यों के बीच बाँटता है। यदि किसी उप्तादक संगठन का गठन किसानों (डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि जैसे सम्बद्ध कार्यकलापों सहित) अन्य कार्य प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किया जाता है तो इसे कृषक उत्पादक कहा जाता है।

**कृषष उत्पादक संगठन का उद्देश्य :–**

किसानों के फसल उत्पादों को बेहतर बाजार एवं उच्चतम मूल्य दिलाने के लिए फारमर्स प्रोडय्सर ऑरगेनाइजेशन का गठन किया जाता है। किसानों को अपने फसल के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए उनको संयुक्त रूप से सामग्री एकत्र करने कृषि उपकरणों का प्रयोग करने साथ ही किसानों को उधार पर देने और संयुक्त रूप अपने उत्पादक को बेचने होगें। इन सब के लिए एकता और संगठन की आवश्यकाता है जिसके लिए नार्बाड के साथ ही भारत सरकार कृषक उत्पादक संगठनों के गठन को प्रोत्साहित करता है, जिससे अंततः उत्पादक संगठनों का निर्माण हो सकेगा।

अभी तक किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खाद्यान, दलहनी, तेलहनी, सब्जी, फल–फूल एवं अन्य फसलों की खेती की जाती है किसी व्यक्तिगत किसान द्वारा उत्पादित उत्पाद काफी कम होने के कारण उसके बिक्री के लिए किसान को अपने उत्पाद को या तो बिचौलिए के माध्यम से अथवा स्थानीय बाजार में ले जाकर इसकी बिक्री की जाती है, उत्पाद की मात्रा काफी कम होने के कारण उन्हें बाजार ले जाने में भी काफी भाड़ा लग जाता है। अन्ततः किसान को उसके कृषि उत्लाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उपर्युक्त कठिनायों के आलोक में एवं किसानों को अधिक लाभ मिल पाने कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ मिलकर वर्ष 2011–12 में कृषक उत्पादक संगठन का गठन करने का निर्णय किया गया, इसे राज्यों में लघु किसान कृषि व्यापार संगठन (एस० एफ० ए० सी०) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। पंचायत स्तर पर या दो–तीन

पंचायतों के कम से कम 500 किसानों को एकीकृत कर किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाए ताकि उत्पादित मात्रा ज्यादा होने से बड़े व्यापारी स्वंय उत्पाद स्थल आकर उत्पादित सामाग्री को उचित मूल्य पर क्रय कर सके, इससे किसानों को बिचौलिए से मुक्ति मिलेगी तथा उन्हें अपने उत्पाद का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा।

**कृषक उत्पादक संगठन की विधिक स्थिति क्या है?**

कृषक उत्पादक संगठन को निम्नलिखित किसी विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सकता है–

1. सहकारी समिति अधिनियम/स्वायत्त संबन्धित राज्य के पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समितियाँ अधिनियम
2. बहु–राज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 और
3. भारतीय कत्पनी अधिनियम 1956 (2013 में यथा संशोधित की धारा 581 (सी) के अन्तर्गत उत्पादक कम्पनी)

**उत्पादक कम्पनी और सहकारी समितियों के मध्य तुलना :**

| क्र0सं0 | पैरामीटर | सहकारी समिति | उत्पादक कम्पनी |
|---|---|---|---|
| 1. | पंजीकरण | सहकारी समितियाँ अधिनियम | भारतीय कम्पनी अधिनियम–2013 |
| 2. | प्रयोजन | एकल प्रयोजन | बहु प्रयोजन |
| 3. | परिचालन क्षेत्र | सीमित, विवेकाधिन | सम्पूर्ण भारतवर्ष |
| 4. | सदस्यता | एकल व्यक्ति और सहकारी संगठन | प्राथमिक कृषि उत्पादक कोई व्यक्ति, समुह या संघ |
| 5. | शेयर | गैर–कारोबारी | गैर कारोबारी लेकिन हस्तांतरणीय सम मूल्य पर सदस्यों तक सीमित |
| 6. | लाभ | शेयरों पर सीमित लाभांश | व्यवसाय की मात्रा के अनुपातिक |
| 7. | मताधिकार | एक सदस्य एकमत लेकिन सरकार और सहकारिता पंजीयक के पास वीटो का अधिकार | एक सदस्य–एक मत |
| 8. | सरकारी निमंत्रण | बहुत ही संरक्षणवादी | न्यूनतम, सांविधिक अपेक्षाओं तक सीमित |
| 9. | स्वायत्तता का दायरा | वास्तविक रूप से सीमित | पूर्ण स्वायत, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वशासित |
| 10. | प्रारक्षित निधियाँ | यदि लाभ होता है, तो रखी जाती है। | प्रत्येक वर्ष रखना अनिवार्य होता है |
| 11. | उधार लेने की शक्ति | उप नियमों के अनुसार सीमित, उप नियमों में किए गए किसी संशोधन के लिए पंजीयन का अनुमोदन जरूरी होता है और इसमें बहुत समय लगता है। | आम सभा की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा उधार लेने की सीमा निर्धारित की जाती है। कम्पनी को उधार लेने की शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्रता होती है। |
| 12. | अन्य कार्पोरेट/गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध | लेन–देन आधारित | उत्पपदक और कॉर्पोरेट निकाय मिलकर एक उत्पादक कम्पनी शुरू कर सकते है। |
| 13. | कानूनी दर्जा | कुल सीमाओं के साथ कनूनी दर्जा | पूर्णतः कानूनी दर्जा |
| 14. | विघटन या राज्य सरकार द्वारा कार्यभार | संभव | बहुत कठोर |
| 15. | विधि/कानून | समितियाँ पंजीकरण अधिनियम 1860 | भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 |

**क्या कृषक उत्पादक संगठन का पंजीकरण अनिवार्य है ?**

सामान्यतः हरेक कृषक उत्पादक संगंठन का पंजीकरण भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक माना जाता है। ताकि कृषक उत्पादक संगठन अपनी सुविधा, लक्ष्णों और प्रयोजनों को विधिक संरचना के रूप में परिवर्तित हो सके। यह आवश्यक है कि विधिक संरचना का चयन करते समय निम्नलिखित कारको को ध्यान में रखा जाना चाहिए :–

(क) कृषक उत्पादक संगठन द्वारा अर्जित लाभ का फायदा अपने प्राथमिक उत्पादकों तक पहुचना चाहिए।

(ख) समय और संसाधन की दृस्टि से पंजीकरण का कार्य अत्याधिक जटिल नहीं होना चाहिए।

(ग) विधिक संरचना का स्वरूप इसकी व्यवसायिक आवश्यकताओं, संगठनात्मक, प्राथमिकताओं, सामाजिक दयित्यों और प्रंबधकीय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।

**नोटः किसी कृषक उत्पादक संगठन का पंजीयन शुल्क, मुद्रांक शुल्क, दस्तावेज तैयार करने और सहयोग प्रभारों आदि का व्यय स्टैम्प डयूटी इत्यादि सहित लगभग 40,000 रूपये का व्यय आता है।**

**कृषक उत्पादक संगठन के कारोबार के स्तर तथा वित्तीय आवश्यकताओं के विभिन्न चरण–**

**स्तर–1 प्रारंभिक स्थिति**

प्रारंभिक स्थिति में एपीओ अपने राशि अथवा बाहरी एंजेसियों द्वारा प्राप्त पुंजी छोटे निवेश, कृषि संबंधी परामर्श सेवा इत्यादि जैसे कार्य कलाप प्रांभ करते हैं। इस स्तर पर मुख्यतः क्षमता निर्माण, स्थापना, प्रणाली विकास इत्यादि के लिए संवर्धक संगठनों से अनुदान सहायता अथवा सूलभ ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।

**स्तर–2 बढ़ने की स्थिति**

सदस्यता में वृद्धि के चलते कारोबार बढ़ाने तथा पुंजी में वृद्धि होने के फलस्वरूप एफपीओ धीरे–धीरे कारोबार में वृद्धि करते हैं तथा इसमें उत्पाद के समूहन, ग्रेडिंग, सॉटिंग तथा सामुहिक विपणन शामिल कर लेते हैं। वितीय सहायता मुख्य रूप से अनुदान सह अल्प ब्याज के रूप रहती है, जो कार्यशील पूँजी के रूप में बैंको, दाता एजेंसियों अथवा कृषि आधारित कम्पनियों अथवा संवर्धनात्म संगठनों से प्राप्त होती है, जिसे एफपीओं अपने विभिन्न कार्यकलापों में उपयोग करती है।

**स्तर–3ः परिपक्क स्थिति**

एफपीओं का कारोबार सामान्यता इसके सक्रिय परिचालन के न्युन्तम 3 से 5 वर्षो की अवधि के पश्चात स्थिर हो जाता है, जब यह अपने सभी परिचालन तथा प्रबंधन लागतो को प्राप्त करने योग्य हो जाता है तथा कुछ आरक्षित निधियाँ सृजित करता है तथा अपने कारोबार को जारी रखने हेतु विभिन्न संस्थाओं से संबंध स्थापित कर लेता है। इस दौरान एफपीओ विभिन्न कृषि उत्पाद का सॉटिग, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिग, परिवहन, भंडारण इत्यादि के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ सृजित कर बड़े पैमाने पर कारोबार व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ती है। इस परिपक्क स्थिति में अपने वितीय जरूरतों के लिए एफपीओं के आंतरिक स्त्रोतों से सहायता मिलती है और वित्तीय क्षमता तथा कारोबार के योजना के आधार पर वाणित्यिक बैंकों के ऋण से पुरा करता है।



**एफपीओं द्वारा अपनाने वाले कारोबार योजना के सिद्धांत :**

कारोबार योजना से एफपीओं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होती है। एक सामान्य कारोबार योजना में निम्नलिखित बाते शामिल रहती है।

**(क) कार्यः** सामान्यतः कोई भी कारोबार योजना संक्षिप्त प्रस्तावता के साथ प्रारंभ होती है और इसके पश्चात् एक कार्य सारांश होती है। कार्य सारांश एक ऐसी सामाग्री होती है जिसमें कारोबार योजना के महत्वपूर्ण कार्य बिन्दु शामिल रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य योजना के बारे में महत्वपूर्ण स्त्रोत जैसे निवेशकर्ता, कारोबार फर्मों, मार्केटिग काम्पनियाँ इत्यादि को विश्वास में लेने के लिएसूचित करना है।

**(ख) उद्योग विश्लेषणः** इससे ऐसे वातावरण को समझने में सहायता मिलती है जिसके अतंर्गत कारोबार परिचालित होता है तथा प्रभावी बाजार योजना को विकसीत करने में सहायता को कारोबार की पवीनता के बारे में सूचित करता है।

**(ग) विपणन योजनाः** विपणन योजना में उत्पाद की बिक्री कैसे की जायगी और ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए कारोबार कैसे प्रेरित करेगा इसकी जानकारी होती है। कार्यनीति को विकसीत करने के लिए यह पहला कदम होता है क्योंकि विपणन संबंधी निर्णय सामान्य रूप से अन्य क्षेत्रों में संसाधन संबंधी जरूरतों के बारे में निर्णय लेते हैं।

**(घ) वितीय योजनाः** वित्तीय योजना कारोबार के अन्य सभी हिस्सों अर्थात अवसर, परिचालन योजना, विपणन योजना, प्रबंधन हीन इत्यादि को संभावित वित्तीय परिणामों में परिवर्तित करती है। वित्तीय योजना में सामान्यतया तीन प्रकार की वित्तीय आवश्यकता के बारे में विमर्श किया जाता हैः–

1. पुंजी आवश्कता और वित पोषण पद्धति
2. नकदी प्रवाह सहित वित्ती अनुमान
3. वित्तीय विवरणियाँ (निवेश पर प्रतिलाभ, प्रतिलाभ की आंतरिक दर, निवल वर्त्तमान मूल्य)

## कारोबार योजना चक्र

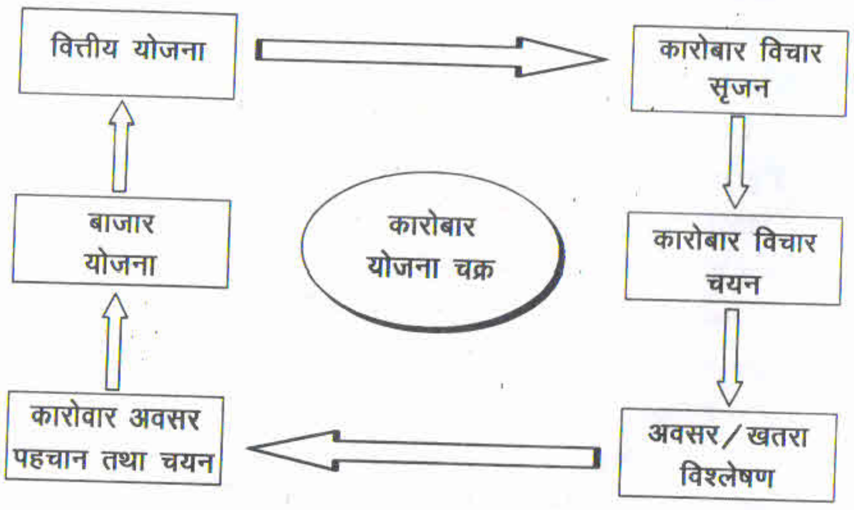


**एफपीओ द्वारा वित्तीय जरूरतों को पुरा करना:**

निम्नलिखित संस्थओं से एफपीओं अपनी वित्तय आवश्यकताओं को पुरा करता है:

(क) शेयर पूँजी सदस्यों द्वारा।

(ख) संवर्धनात्मक लागतों के लिए अनुदान सहायता: जैसे एसएफएसी और नार्बाड जैसे कई सरकारी संगठन एवं अन्य विकास एजेन्सियाँ, गैर सरकारी संस्था अनुदान अथवा सूलभ ऋण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) बैंकों/ एन बी एफ सी/ एम एफ आई द्वारा कार्यशील पुंजी वित्त।

(घ) कॉरपोरेट सी एस आर निधियों का उपयोग।

(ङ) प्रारंभिक राशि सहायता: कुछ रात्य सरकारें प्रारंभिक अवधि के दौरान कारोबार संबंधी परिचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

**कृषक उत्पादक संगठन से जूड़ने से लाभ:**

1. किसान उत्पादक संगठन के गठन का उद्देश्य लघु एवं मध्यम स्तर के उत्पादको विशेष रूप से छोटे एवं सीमान्त किसानों को एकीकृत कर समूह के माध्यम से उनके हितों का संरक्षण करना है।



2. समुह के किसानों को बीज, उर्वरक, मशीन की आपूर्ति, मार्केटिग लिंकेज हेतु परामर्श एवं विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी ज्ञान में सहायता देना, किसानों को प्रशिक्षण, नेट वर्किंग, वित्तीय एवं तकनीकी परामर्श देना एवं वित्तीय संस्थाओं से किसानों को क्रय उपलब्ध करना है।
3. किसान को उत्पाद से लेकर विपणन तक की समस्या का समाधान तथा किसानों के आय में वृद्धि करावा कर उन्हें स्वालम्बी बनाना है।
4. किसानों को विचौलियों से बचाना एवं उसके उत्पाद को सही मूल्य प्रदान करना।

**जी. वी. टी– कृषि विज्ञान केन्द्र, गोड्डा द्वारा संचालित कृषक उत्पादक संगठन का एक परिचय :**

नाबार्ड, राँची द्वारा वित्त सम्पौषित एवं कृषि विज्ञान केन्द्र गोड्डा द्वारा संचालित साथ 2019–20 में गोड्डा जिलों में पाँच कृषक उत्पादक कम्पनी का गठन भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया जो निम्नलिखित है:

1. तिलका माँझी कृषक उत्पादक कम्पनी सरकंडा चौक, गोड्डा
2. गंगटा–फसिया कृषक उत्पादक कम्पनी, गंगटा–फसिया, गोड्डा
3. माँ योगनी कृषक उत्पादक कम्पनी, नोनमाटी, गोड्डा।
4. खुशआली कृषक उत्पादक कम्पनी, सैदापुर, गोड्डा।
5. श्री हरगौरी कृषक उत्पादक कम्पनी, सत्संगनगर, गोड्डा।

उपरोक्त सभी कृषक उत्पादक कम्पनी में छोटे एवं सीमान्त कृषकों की संख्या वर्तमान में 250–300 है जो कि आने वाले वर्ष में कम से कम 500 कृषक इस संस्था से जूड़ जायेंगे। सभी कृषक उत्पादक कम्पनी मुख्यतः खाद एवं कीटनाशक दवा दुकान, धान, गेहुँ, सरसों एवं मुंग के बीज उत्पादन, सब्जी उत्पादन, केले की उन्नत खेती, गाय एवं बकरी पालन, लेमन ग्रास की खेती करना आदि अनेक कार्य समुह में अपने–अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके कार्य को देखने जिले के पदाधिकारी एवं भारत सरकार के प्रतिनिधि का भ्रमण भी हुआ है एवं प्रोत्साहन भी मिला है। इसके कार्य को देखकर जिले के अनेक वित्तीय संस्था मदद को तैयार भी हो गए हैं। आने वाले समय में इनका भविष्य उज्जल होगा।

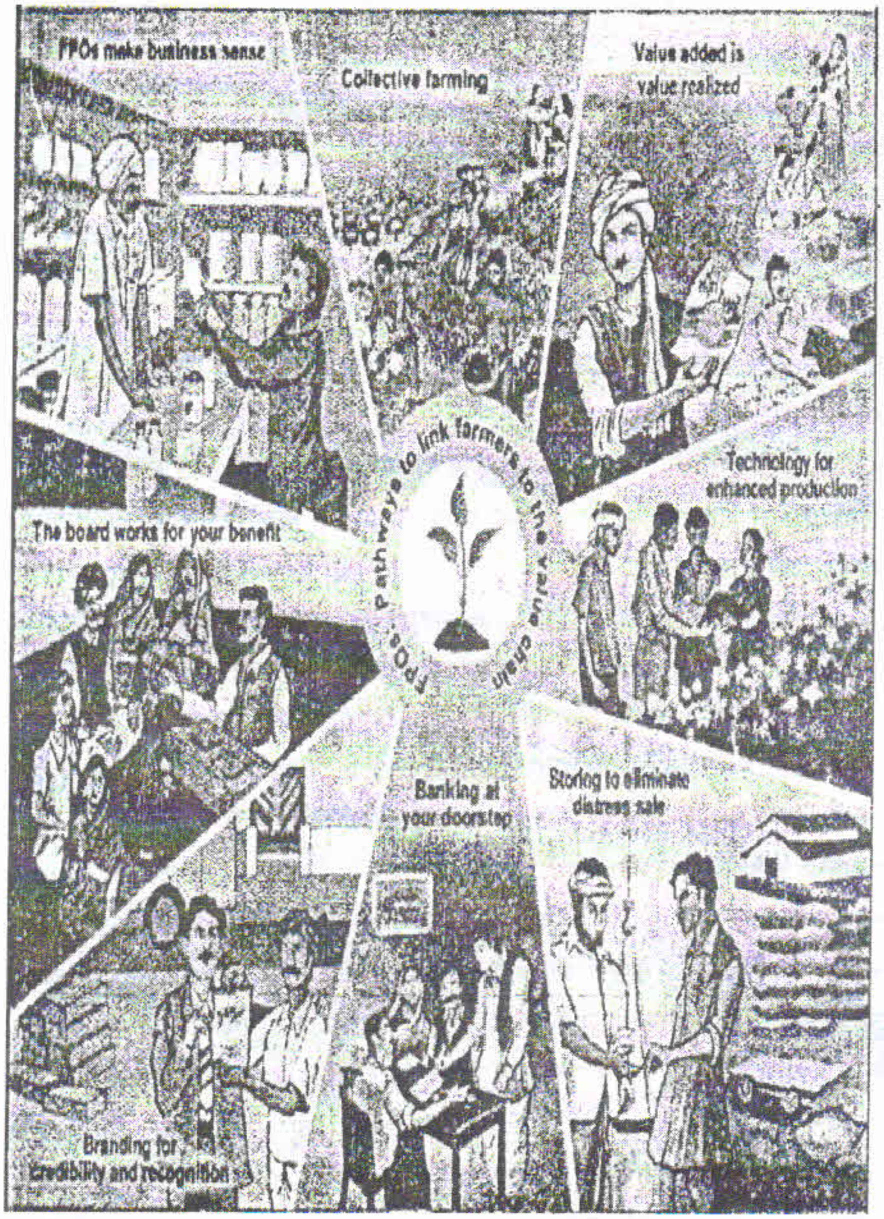
FPOs make business sense
Collective farming
Value added is value realized
Technology for enhanced production
The board works for your benefit
FPOs: Pathways to link farmers to the value chain
Banking at your doorstep
Storing to eliminate distress sale
Branding for credibility and recognition